

उच्च शिक्षा क्षेत्र के शासकीय क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संतुष्टि स्तर की माप एवं परिकल्पना परीक्षण

सारांश

समाज के विभिन्न परिवेश में महिलायें कार्यों का संपादन करती हैं। समाज का प्रत्येक सदस्य परिवेश के अनुसार अपने को समायोजित करता है। देष को गरीबी से ऊपर उठाने का निश्चित तथा एक मात्र तरीका देश की महिलाओं को शिक्षित करना तथा उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न करने एवं उनके विकास हेतु अनेक शासकीय नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण शासन द्वारा किया जाता रहा है। महिलायें आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में जागरूक होकर आत्मनिर्भर हो रही हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र में उच्च शिक्षा में कार्यरत महिलाओं को प्राथमिकता दते हुए उनके शिक्षा के प्रति व शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न घटकों के प्रति संतुष्टि स्तर को जानने का प्रयास किया गया है। कामकाजी महिलाओं के सबध में भर्ती, चयन, पदोन्नति, पदावनति, कार्यसमय, स्थानांतरण, वेतन और सुरक्षा आदि महत्वपूर्ण घटक होते हैं। कामकाजी महिलाओं का इन घटकों के प्रति संतुष्ट होना अति आवश्यक है तभी वह शिक्षा क्षेत्र में अपना संपूर्ण योगदान प्रदान करने में सक्षम हो सकती हैं।

मुख्य शब्द : शिक्षा, संतुष्टि स्तर, कामकाजी महिलायें।

परिचय

1970 के दशक से महिला कल्याण की चर्चा तीव्र गति से की गई एवं सन् 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में बनाये जाने के बाद से ही महिलाओं से संबंधित समस्याओं एवं मुद्दों को विभिन्न मंचों पर उठाया जाने लगा। इन मंचों के माध्यम से महिलाओं की मांग सामने आने लगी और इन मांगों को पूर्णता प्रदान करने का कार्य सरकारी नीतियों के माध्यम से करने का प्रयास किया गया। भारत सरकार ने महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की स्थापना की, यह विभाग महिलाओं के विकास के लिये विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहा है।

संविधान के अनुच्छेद 15 के मुताबिक महिलाओं एवं पुरुषों को समान माना गया है। संसद के द्वारा समय-समय पर नीति निर्देशक सिद्धान्तों के क्रियान्वयन के लिये कानून बनाये गये हैं। धारा 38 के अनुसार राज्य का यह दायित्व है कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे सभी को आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक न्याय प्राप्त हो सके। कार्यरत महिलाओं के संरक्षण के लिये बनाये गये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं कानूनों का संक्षिप्त उल्लेख यहां प्रदान किया जा रहा है—

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976

इसमें महिलाओं तथा पुरुषों को समान माना गया है तथा समान पारिश्रमिक देने का प्रावधान किया गया है।

कारखाना अधिनियम 1948

यह अधिनियम कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, काम के घंटे तथा अन्य व्यस्कों को नियोजित करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961

कामकाजी मलियों के लिये यह एक विशेष कानून है। इस कानून के तहत महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिसमें प्रस्तुति से पूर्व एवं पश्चात 6 सप्ताह का अवकाश प्रदान किये जाने का प्रावधान है।



सरिता गोयल
सहायक अध्यापक,
शिक्षाशास्त्र विभाग,
गुरु नानक महिला महाविद्यालय,
जबलपुर

मातृत्व सुविधा अधिनियम 1961 संशोधित 1987

कामकाजी महिलाओं का शोषण रोकने व व माँ और बच्चे के स्वास्थ्य व हितों की रक्षा के लिये मातृत्व सुविधा अधिनियम बनाया गया तथा 1987 में संशोधित किया गया।

महिला हैसियत आयोग 1946

इसका निर्माण महिलाओं को जागत करने और राजनीतिक विचार विमर्श की ओर अग्रसर करने के लिये व महिलाओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से किया गया।

साहित्य समीक्षा

प्रज्ञा शर्मा (2001)

अपनी पुस्तक में महिला विकास और सशक्तिकरण में महिलाओं की दशा का वर्णन करते हुए बतलाया है कि किस प्रकार महिलाओं की स्थिति में जो परिवर्तन आया है वह 18 वीं शताब्दी, 19 वीं शताब्दी में समाज सुधारकों के कठिन प्रयास के फलस्वरूप आया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिये महिला संगठनों के द्वारा अधक प्रयास किये गये व कानूनों का निर्माण किया गया। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

डॉ. गीताजंली (2001)

अपने शोध पत्र में भारतीय समाज में स्त्रियों व पूरुषों के कार्यों, अधिकारों और स्थितियों पर दृष्टि डालने से यह प्रतीत होता है कि वेतन भोगी महिलायें जो विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

सुषमा कुलकर्णी (2002)

शोधार्थी ने अपने शोध अध्ययन में महिलाओं में पाई जाने वाली पेशेवर दक्षता का सर्वेक्षण कर यह निष्कर्ष निकाला है कि भारत में महिलाओं की वास्तविक कायों में भागीदारी काफी कम है। प्रशासनिक पदों पर केवल 5.2 प्रतिशत महिलायें कार्यरत हैं। महिलाओं में आत्मविश्वास, शिक्षा, निर्णयन आदि का अभाव उनकी भागीदारी कम होने के पमुख कारण हैं, इसलिये महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।

रमणिका गुप्ता (2006)

लेखिका ने अपनी पुस्तक में कामकाजी स्त्रियों के प्रति मानसिकता में बदलाव व महिलाओं की समस्याओं को उजागर किया है। इनका मानना है कि भारत की सामाजिक स्थितियों के मद्देनजर स्त्रियों के लिये कुछ ऐसे काम आरक्षित होने चाहिए, जो केवल महिलायें सहजता से संपन्न कर सकती हैं।

डॉ. मीनाक्षी (2012)

इन्होंने ने अपनी पुस्तक "कामकाजी महिलायें" में महानगरों में नौकरी करने वाली मध्यमवर्गीय महिलाओं की उपलब्धियों के साथ-साथ समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की है।

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के उद्देश्य इस प्रकार है—

- उच्च शिक्षा क्षेत्र की शासकीय क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

2. उच्च शिक्षा क्षेत्र के शासकीय क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संतुष्टि स्तर को ज्ञात करना।

3. महिलाओं के स्वयं की आय पर अधिकार को ज्ञात करना।

शोध परिकल्पना

प्रस्तुत शोध की परिकल्पना इस प्रकार है—

- उच्च शिक्षा क्षेत्र की महिलाओं का संतुष्टि स्तर उच्च है।

शोधप्रविधि

प्रस्तुत शोधपत्र प्राथमिक व द्वितीयक संमकों पर आधारित है। प्राथमिक समकों का सकलन प्रश्नावली/अनुसूची की सहायता से किया गया है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत शासकीय महिलाओं द्वारा प्रश्नावली/अनुसूची को प्रदान करके उनसे प्रश्नों के उत्तर भरवायें गये हैं। प्रश्नावली अनुसूची से प्राप्त उत्तरों के आधार पर समकों का वर्गीकरण व सारणीयन किया गया है, तत्पश्चात् समकों का विश्लेषण कर संतुष्टि स्तर की माप की गई है।

शासकीय क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के संतुष्टि स्तर के निर्धारक घटक :

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उच्च शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संतुष्टि स्तर की माप हेतु निम्नलिखित घटकों का निर्धारण किया गया है :

- वेतन/पारिश्रमिक,
- कार्य अवधि,
- अवकाश संबंधी छूटें,
- पदोन्नति के अवसर व वेतन वृद्धि,
- आपसी सहयोग व समन्वय,
- अनुलाभ,
- सामाजिक सुरक्षा।

संतुष्टि स्तर मापन हेतु प्रश्न व आबंटित अंक

(अ) **प्रश्न** : संतुष्टि स्तर को व्यक्त करने के लिए चयनित प्रश्न इस प्रकार है :

- शासकीय क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को कार्य व योग्यता के आधार पर वेतन प्रदान किया जाता है।
- शासकीय क्षेत्रों में कार्यरत महिलायें कार्य अवधि से संतुष्टि है।
- शासकीय क्षेत्रों में अवकाश संबंधी व स्वास्थ्य संबंधी अवकाश में छठ प्राप्त है।
- शासकीय क्षेत्रों में पदोन्नति व वेतन वृद्धि के अवसर प्राप्त होते हैं।
- शासकीय क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों के मध्य आपसी सहयोग व समन्वय है।
- शासकीय क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों को अनुलाभ प्राप्त हो रहा है।
- शासकीय क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

(ब) **संतुष्टि स्तर मापन हेतु अंकों का विभाजन :**

संतुष्टि स्तर को व्यक्त करने के लिए शासकीय क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों को चार विकल्प दिये गये।

(अ) उत्कृष्ट (ब) अच्छी (स) संतोषजनक(द) असंतोषजनक

इन चारों विकल्पों/संतुष्टि स्तर के लिए आबंटित अंकों का विभाजन इस प्रकार किया गया है

संतुष्टि स्तर / प्रतिक्रिया	आंबेटित अंक
उत्कृष्ट	8-10
अच्छी	6-8
संतोषजनक	4-6
असंतोषजनक	0-4

उत्कृष्ट सेवाओं/प्रतिक्रियाओं के लिए 8 से 10 अंक, अच्छी सेवाओं के लिए 6 से 8 अंक, संतोषजनक सेवाओं के लिए 4 से 6 अंक और असंतोषजनक/कुछ नहीं कह सकते जैसी सेवाओं/प्रतिक्रियाओं के लिए 0 से 4 अंक निर्धारित किये गये।

संतुष्टि स्तर की माप

औसत अंकों की गणना

संतुष्टि स्तर के सभी निर्धारकों के उत्कृष्ट, अच्छी, संतोषजनक और असंतोषजनक स्तर के लिये औसत अंकों की गणना की गयी है।

$$\text{औसत अंक} = \frac{\text{कुल अंक}}{\text{हितग्राहियों की संख्या}}$$

संतुष्टि निर्देशांक (Satisfaction Index)

प्रत्येक घटक के सभी संतुष्टि स्तरों के लिए संतुष्टि निर्देशांक की गणना हेतु निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया है :

$$SI_n = \frac{XnNn}{Tn}$$

SI_n = n वें घटक के लिए संतुष्टि निर्देशांक,

X_n = n वें घटक के लिए औसत अंक,

N_n = n वें घटक के लिए संतुष्टि को व्यक्त करने वाली महिलाओं संख्या,

T_n = n वें घटक के सभी संतुष्टि स्तरों को व्यक्त करने वाली महिलाओं की संख्या।

सापेक्षिक महत्व का निर्धारण व गणना

संतुष्टि स्तर को व्यक्त करने वाले विभिन्न घटकों के प्रति, महिलाओं का सापेक्षिक महत्व क्रम अलग—अलग हो सकता है? क्योंकि प्रत्येक घटक के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया व अनुमान भिन्न हो सकती है। महिलायें किन घटकों को अधिक वरीयता प्रदान करता है? अथवा वे कौन से घटक हैं जो कि उसकी संतुष्टि को बढ़ाते हैं? यह जानने के उद्देश्य से प्रत्येक महिला से सर्वोच्च वरीयता वाले चार घटकों का चयन करने का आग्रह किया गया है।

अंतिम संतुष्टि निर्देशांक

महिलाओं के संतुष्टि निर्देशांक और सापेक्षिक महत्व की सहायता से अंतिम संतुष्टि निर्देशांक की गणना की गई है।

निर्वाचन

संतुष्टि स्तर को व्यक्त करने वाले औसत अंकों का वितरण

तालिका क्रमांक 1

औसत अंकों का वितरण

क्र.	घटक	प्रतिक्रिया हेतु औसत अंकों का वितरण			
		उत्कृष्ट (X1)	अच्छी (X2)	संतोष जनक (X3)	असंतोष जनक (X4)
1	वेतन / पारिश्रमिक	8.67	6.57	4.55	2.5
2	कार्य अवधि	8.35	6.3	4.62	3
3	अवकाश संबंधी छूटें	8.44	7.8	4.54	2.43
4	पदोन्नति के अवसर व वेतन वृद्धि	8.38	6.56	4.55	3
5	आपसी सहयोग व समन्वय	-	6.24	4.44	1.32
6	अनुलाभ,	8.38	6.36	4.65	3
7	सामाजिक सुरक्षा	9.24	6.57	4.56	3

स्रोत— सर्वेक्षण पर आधारित

तालिका क्रमांक 2

संतुष्टि स्तर / प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाली महिलाओं की संख्या

क्र.	घटक	संतुष्टि स्तर/प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या			
		उत्कृष्ट (n1)	अच्छी (n2)	संतोष जनक (n3)	असंतोष जनक (n4)
1	वेतन / पारिश्रमिक	30	35	51	4
2	कार्य अवधि	20	50	40	10
3	अवकाश संबंधी छूटें	41	50	22	7
4	पदोन्नति के अवसर व वेतन वृद्धि	13	50	27	30
5	आपसी सहयोग व समन्वय	.	25	58	37
6	अनुलाभ,	29	39	34	18
7	सामाजिक सुरक्षा	50	28	32	10
	कुल	183	277	264	116

स्रोत— सर्वेक्षण पर आधारित, () कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक 1 में संतुष्टि स्तर के विभिन्न निर्धारकों के संबंध में संतुष्टि स्तर (उत्कृष्ट, अच्छी, संतोषजनक, व असंतोषजनक) व्यक्त करने के लिये अगणित औसत अंकों का वितरण दर्शाया गया है, जबकि तालिका क्रमांक 2 में प्रत्येक घटक के लिये उत्कृष्ट, अच्छी, संतोषजनक, व असंतोषजनक संतुष्टि स्तर को दर्शाया गया है।

संतुष्टि निर्देशांक व कोटिक्रम

प्रत्येक घटक के लिए उत्कृष्ट, अच्छी, संतोषजनक, व असंतोषजनक संतुष्टि स्तर को व्यक्त करने वाले औसत अंकों और संतुष्टि स्तर को व्यक्त करने वाली महिलाओं की संख्या की सहायता से पूर्व में

उल्लेखित सूत्र की सहायता से अगणित संतुष्टि निर्देशांक व कोटिक्रम को तालिका क्रमांक 3 में दिखाया गया है—

तालिका क्रमांक 3 संतुष्टि निर्देशांक व कोटि क्रम

क्रं.	घटक	संतुष्टि निर्देशांक	कोटि क्रम
1	वेतन/पारिश्रमिक	6.1	3
2	कार्य अवधि	5.81	5
3	अवकाश संबंधी छूटें	7.11	1
4	पदोन्नति के अवसर व वेतन वृद्धि	4.92	6
5	आपसी सहयोग व समन्वय	3.83	7
6	अनुलाभ,	5.86	4
7	सामाजिक सुरक्षा	6.85	2

स्रोत— तालिका क्रमांक 1 व 2 पर आधारित

तालिका क्रमांक 3 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि महिलाओं का विभिन्न घटकों के प्रति संतुष्टि स्तर अलग—अलग है। अवकाश एवं स्वास्थ्य संबंधी छूटों के प्रति संतुष्टि स्तर का कोटिक्रम 1 है। सामाजिक सुरक्षा के प्रति महिलाओं के संतुष्टि स्तर का कोटिक्रम द्वितीय है। इसी प्रकार तृतीय क्रम पर वेतन/पारिश्रमिक, चतुर्थ क्रम पर अनुलाभ, और पांचवें क्रम पर कार्य अवधि से संतुष्ट हैं। संतुष्टि क्रम के छठवें, व सातवें क्रम पर क्रमशः पदोन्नति के अवसर व वेतन वृद्धि, आपसी सहयोग व समन्वय को उचित मानते हैं।

सापेक्षिक महत्व (Relative Importance) .

महिलाओं से सेवाओं की कुशलता की माप हेतु, संतुष्टि स्तर के निर्धारकों में से प्रत्यक के लिए सापेक्षिक महत्व निर्धारण हेतु महिलाओं से आग्रह किया गया। महिलाओं से यह पूछा गया कि वे इन घटकों में से किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? इस प्रकार उनसे किन्हीं चार घटकों को प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ क्रम (सापेक्षिक महत्व/वरीयता) प्रदान करने के लिए कहा गया। महत्वक्रम की सहायता से सापेक्षिक महत्व व अंतिम संतुष्टि निर्देशांक की रचना की गई। महत्वक्रम का अंकीय/रूप में व्यक्त करने के उद्देश्य से, अंको का विभाजन इस प्रकार किया गया है—

तालिका क्रमांक 4

महत्वक्रम

महत्वक्रम	अंक
1	10
2	7.5
3	5
4	2.5

महिलाओं से प्रत्येक घटक के लिए व्यक्त किये गए महत्वक्रम के आधार पर प्राप्त अंक व अंक प्रदान करने वाले महिलाओं की संख्या को तालिका क्रमांक 5 में दर्शाया गया है—

तालिका क्रमांक 5

घटकवार महत्वक्रम (उ)के अनुसार महिलाओं की संख्या (द)व सापेक्षिक महत्व

क्रं	घटक	महत्वक्रम (उ)हितग्राहियों की संख्या (द)				कुल हितग्राही	सापेक्षिक महत्व	कोटि क्रम
		1 (10अंक)	2 (7.5अंक)	3 (5अंक)	4 (2.5अंक)			
1	वेतन/पारिश्रमिक	64	32	20	-	116	8.45	1
2	कार्य अवधि	-	-	16	20	36	3.61	6
3	अवकाश संबंधी छूटें	-	4	8	4	16	5	4
4	पदोन्नति के अवसर व वेतन वृद्धि	-	24	16	32	72	4.72	5
5	आपसी सहयोग व समन्वय	-	4	4	20	28	3.57	7
6	अनुलाभ,	20	28	20	28	96	6.04	3
7	सामाजिक सुरक्षा	36	28	40	12	116	6.89	2

स्रोत— सर्वेक्षण पर आधारित

सापेक्षिक महत्व की गणना हेतु निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया।

$$RI = \frac{(\Sigma mn)}{N}$$

$m = n$ वें घटक के महत्वक्रम का आंकिक मूल्य
 $n = n$ वें घटक के महत्वक्रम के लिए महिलाओं की संख्या
 $N =$ समस्त महत्व क्रमों के लिए महिलाओं की संख्या

तालिका क्रमांक 5 में प्रत्येक घटक के लिए आगणित सापेक्षिक महत्व व सापेक्षिक महत्व का कोटिक्रम दर्शाया गया है। तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि : महिलाय वेतन/पारिश्रमिक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानती हैं। द्वितीय क्रम पर सामाजिक सुरक्षा, तृतीय क्रम पर

अनुलाभ, चतुर्थ क्रम पर अवकाश संबंधी छूटें, पांचवें महत्वक्रम पर पदोन्नति के अवसर व वेतन वृद्धि, छठवें क्रम पर कार्य अवधि, व अंतिम सातवें क्रम पर आपसी सहयोग एवं समन्वय का महत्वपूर्ण मानती हैं।

अंतिम संतुष्टि निर्देशांक

महिलाओं के संतुष्टि निर्देशांक (SI) व सापेक्षिक महत्व (RI) की सहायता से महिलाओं के संतुष्टि स्तर के संबंध में चयनित सभी महत्वपूर्ण घटकों के लिए अंतिम संतुष्टि निर्देशांक (USI) की गणना की गई है। अंतिम संतुष्टि निर्देशांक की गणना का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा क्षेत्र में सेवाओं के विभिन्न घटकों के लिए अगणित संतुष्टि स्तर और इन घटकों के प्रति महिलाओं की अपेक्षाओं के

आधार पर संतुष्टि की माप करना है, इसे अंतिम संतुष्टि निर्देशांक के रूप में व्यक्त किया गया है।
अंतिम संतुष्टि निर्देशांक (USI) की गणना निम्नलिखित सूत्र की सहायता से की गई है।

तालिका क्रमांक 6 अंतिम संतुष्टि निर्देशांक

क्र	घटक	संतुष्टि निर्देशांक	सापेक्षिक महत्व	SIxRI
1	वैतन / पारिश्रमिक	6.1	8.45	51.54
2	कार्य अवधि	5.81	3.61	20.97
3	अवकाश संबंधी छूटें	7.11	5	35.55
4	पदोन्नति के अवसर व वैतन वृद्धि	4.92	4.72	23.22
5	आपसी सहयोग व समन्वय	3.83	3.57	13.67
6	अनुलाभ,	5.86	6.04	35.39
7	सामाजिक सुरक्षा	6.85	6.89	47.20
	कुल	-	38.28	227.54

स्रोत— तालिका क्रमांक 3 व 5 पर आधारित

$$USI = \frac{\sum SI.RI}{\sum RI}$$

$\sum SI.RI$ = घटक के संतुष्टि निर्देशांक व सापेक्षिक महत्व का गुणनफल

$\sum RI$ = सभी घटकों के लिए सापेक्षिक महत्व का योग

$$USI = \frac{227.54}{38.28}$$

$$USI = 59.4 \text{ or } 5.94$$

उच्च शिक्षा क्षेत्र के संवाऽं के प्रति महिलाओं का संतुष्टि स्तर 59.4 प्रतिशत है।

परिकल्पना परीक्षण

उच्च शिक्षा क्षेत्र की महिलाओं का संतुष्टि स्तर उच्च है।

तालिका क्रमांक 8

महिलाओं का संतुष्टि स्तर

घटक	SI	Rank1 R1	RI	Rank2 R2	d=R1-R2	d^2	't' Test
1	6.1	3	8.45	1	2	4	CV<TV 2.28< 2.571 H_0 Accepted
2	5.81	5	3.61	6	-1	1	
3	7.11	1	5	4	-3	9	
4	4.92	6	4.72	5	1	1	
5	3.83	7	3.57	7	0	0	
6	5.86	4	6.04	3	1	1	
7	6.85	2	6.89	2	0	0	
	-	-	-	-	-	16	

स्रोत— तालिका क्रमांक 6 पर आधारित

$$\text{श्रेणी अंतर सहसंबंध गुणांक } \gamma_{Rank} = 1 - \frac{6(\sum d^2)}{n(n^2-1)}$$

$$\gamma_{Rank} = 0.7143$$

$$t=r \sqrt{\frac{(N-2)}{(1-r^2)}}$$

$$t= 2.28$$

तालिका क्रमांक 8 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि 5% सार्थकता स्तर पर 5 स्वातंत्र्य स्तर के लिये 't' का मूल्य 2.571 है। गणना द्वारा प्राप्त 't' का मूल्य 2.28 है, जो कि

सारणी मूल्य से बहुत कम है, अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षा क्षेत्र की महिलाओं का संतुष्टि स्तर उच्च है।

निष्कर्ष-

अद्वैत भार्या मनुयसस्य, भार्या श्रेष्ठतम सखा, असहाय लोकेस्मिन्, लोकेस्मिन्, लोकयात्रा सहायिनी।

अर्थात पत्नी पुरुष की अद्वागिनी और परम मित्र हैं संसार में जिसका कोई सहायक नहीं, उसकी पत्नी जीवन यात्रा में साथ देती है। पत्नी को पुरुष की अद्वागिनी अर्थात् आधा अंग कहकर उस पुरुष का न केवल अविभाज्य अंग, निरूपित किया गया है, बल्कि उसे बराबरी का दर्जा देकर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन पथ पर अग्रसर होने का अधिकार प्रदान किया गया है।

पस्तुत शोध पत्र उच्च शिक्षा में कार्यरत शासकीय महिलाओं की संतुष्टि से संबंधित है, अध्ययन से पता चलता है कि महिलायें आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में जागरूक होकर आत्मनिर्भर हो रही हैं। उच्च शिक्षा क्षेत्र के सेवाओं से वह संतुष्ट है, किंतु मेरा मानना है कि इसमें ओर सुधार की आवश्यकता है ताकि महिलायें अपने को सुरक्षित महसूस करते हुए शिक्षा क्षेत्र में और अधिक से अधिक अपना योगदान प्रदान कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची—

1. Natani Prakash Narayan : महिला जागृति और कानून, आविष्कार पब्लिशर्स, 2002.
2. Natani Prakash Narayan : भारत में सामाजिक समस्याएँ, पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर, 2000.
3. Sharma Prem narayan and others : महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास, भारत बुक सेंटर, लखनऊ, 2008.
4. Sharma Pragya : महिला विकास और सशक्तिकरण, पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर, 2001.
5. Sharma Pragya : भारतीय समाज: चिन्तन और पतन, पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर, 2001.
6. Sharma Rajnath : भारतीय समाज, संस्थाएं और संस्कृति, अटलांटिक पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स नई दिल्ली, 2000.
7. Basal, Ku. Manisha : व्यवसाय में कार्यरत महिलाओं के भूमिका संघर्ष का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भाव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय 2010.